न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1917–एक/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–11–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–211/निगरानी/2005–06.

.....

बैद्यनाथ प्रसादद पुत्र रामकुमार
निवासी–डगरदुआ तह0, सिरमौर,
जिला–रीवा, म0प्र0

————————आवेदक

विरूद्ध

1– बृजमोहन पुत्र श्री अंबिका प्रसाद
2– अशोक कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
निवासीगण–डगरदुआ तह0, सिरमौर,
जिला–रीवा, म0प्र0

————————अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक05-05-2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–11–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, अनावेदक क्र0 2 के द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी का कब्जा दर्ज किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जहां पर तहसीलदार ने कब्जा दर्ज करने का आवेदन पत्र स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध के आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो स्वीकार की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 494/अ–6–अ/2004–03 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 15.12.05 द्वारा अपील प्रचलनशीलता पर अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध

अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में निगरानी पेश की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 211/निग0/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2007 द्वारा निगरानी स्वीकार की गई। उक्त आदेश दिनांक 20.11.2007 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनावेदक क्र0 2 अशोक कुमार द्वारा जो आवेदन पत्र तहसील न्याालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें कोई दिनांक अंकित नहीं है। जबकि कैफियत में नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.05.2005 को आवेदन पत्र प्रस्तुत होना बताया है और यह भी स्पष्ट किया है कि प्रश्नाधीन भूमियों में आवेदक का कब्जा वर्ष 1977–78 से 2002–03 में कब्जा कैफियत पर केवल आवेदक का अंकित है, जबकि अनावेदक द्वारा वर्ष 1993–94 से 1996–97 तक के खसरे की नकल प्रस्तुत की गई है। उसमें आवेदक के नीचे अनावेदक क्र0 2 का नाम अंकित किया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वर्ष 1992–93 से 1996–97 तक की खसरा की नकले दोहरी प्रविष्टि की जारी की गई है। इससे स्पष्ट है कि अनावेदक क्र0 2 का उनके द्वारा प्रस्तुत खसरा की नकल दिनांक 22.05.2000 में बाद मे दर्ज किया गया है। इस तरह अनावेदक क्र0 2 का नाम दर्ज करने की प्रविष्टि पटवारी हल्का द्वारा अवैधानिक ढंग से की गई । जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा अनदेखी की गई है। अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.04.2005 के विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला–रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश था। अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने का प्रावधान है। किन्तु अनावेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसमें तर्क श्रवण किये गये और आदेश गुण दोषों के आधार पर दिया गया । ऐसे आदेश को अपास्त करने में अपर आयुक्त रीवा द्वारा वैधानिक त्रुटी की गई है। ऐसा आदेश विधि के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय अपर कलेक्टर, रीवा के समक्ष अनावेदक

द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 104/अ–6–अ/04–05 में पारित आदेश दिनांक 25.04.05 के विरूद्ध निगरानी दिनांक 23.05.05 को प्रस्तुत की गई थी। अपर कलेक्टर न्यायालय में दिनांक 04.07.05 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा अपर कलेक्टर द्वारा मूल प्रकरण आहूत कर आवेदक को तलब व मूल प्रकरण आने पर स्थंगन पर विचार किये जाने हेतु आदेशित किया गया । इसके उपरांत ही अधीनस्थ अपर कलेक्टर न्यायालय में दिनांक 10.08.05 को मूल प्रकरण प्राप्त हुआ एवं साथ ही आवेदक के द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु दिनांक 22.09.2005 को अंतिम तर्क श्रवण किया जाकर अपर कलेक्टर द्वारा निगरानीधीन आदेश पारित कर दिया गया, जिसे विधिनुकूल नहीं माना जा सकता। क्योंकि जब दिनांक 04.07.2005 को निगरानी ग्राह्यता पर स्वीकार की जा चुकी थी एवं अभिलेख मंगाकर आवेदक को तलब किया जा चुका था तो दोबारा प्रकरण की प्रचलनशीलता पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता। पूर्व पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 04.07.05 को प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था तो उस आदेश को निरस्त करने के पूर्व वरिष्ठ न्यायालय से अनुमति लेना चाहिये थी, किन्तु इस प्रकरण में कोई अनुमति नहीं ली गई और न ही प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर किया गया। इसी कारण अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया है। जिसमें कोई अवैधानिक अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। इस कारण निगरानी में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 20.11.2007 न्यायसंगत होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,